



Neutral Citation No-2026:AHC:5097

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4444 वर्ष 2025

कृष्णधर याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय सिंह सेंगर

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अचल सिंह, : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, गांव सभा के अधिवक्ता (प्रतिपक्षी संख्या-5) और राज्य-प्रतिपक्षी संख्या-1 से 4 के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित 24.09.2025 के अंतरिम आदेश को खारिज करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया है, जिसके तहत संशोधनवादी (गांव सभा) को प्रतिपक्षी (याचिकाकर्ता) की उपस्थिति तक अंतरिम राहत प्रदान की गई है। सुलभ संदर्भ के लिए, 24.09.2024 के स्थगन आवेदन के मार्जिन में चकबंदी के उप निदेशक द्वारा लिखा गया 24.09.2025 का अंतरिम आदेश यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

"प्रार्थना पत्र पर उत्तरवादी की उपस्थिति तक स्थगन दिया जाता है तथा प्रार्थना पत्र दाता को निदेशित किया जाता है आज ही पक्षकारों को सम्मन भिजवाएं व पैरवी करें।"

3. उपरोक्त अंतरिम आदेश (इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित) के अवलोकन से पता चलता है कि अंतरिम राहत सीमित अवधि के लिए दी गई थी जब तक कि प्रतिपक्षी (याचिकाकर्ता यहां याचिकाकर्ता) की उपस्थिति नहीं हो जाती। यह याचिकाकर्ता का एक स्वीकृत मामला है, कि वे



पहले ही चकबंदी के उप निदेशक के समक्ष पेश हो चुके हैं और अपनी आपत्तियां दायर कर चुके हैं।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान को ध्यान में रखते हुए, सीमित अवधि के लिए दिया गया अंतरिम आदेश पहले ही समाप्त हो चुका है, जो उपरोक्त अंतरिम राहत के विस्तार के लिए आगे के आदेश के अधीन है। इसलिए, प्रस्तुत रिट याचिका में कोई सार नहीं है और इस न्यायालय ने दिनांक 24.09.2025 को चुनौती दिए गए आदेश में कोई अवैधता या कमजोरी नहीं पाई है।

5. तदनुसार, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से **निस्तारण** किया जाता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि चकबंदी के उप निदेशक स्थगन आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद नया अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं।

जनवरी 8, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)